

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हरुमानगढ

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पनिया आर.ए.एस.



(1) अपील संख्या 107/2021

मदनलाल पुत्र साजनराम जालि जाट निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

अपीलार्थी

बनाम

1. बन्ना सिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

2. कलवन्त सिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

3. अमनदीप कौर पत्नी जगदीप सिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

4. परमजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

5. सुखजीत कौर पत्नी श्री जगरूप सिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

6. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हरुमानगढ।

— रेषाईट्स

(2) अपील संख्या 112/2021

अमनदीप कौर पत्नी जगदीप सिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

अपीलार्थी

बनाम

1. बन्ना सिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जालि जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

2. मदनलाल पुत्र साजनराम जालि जाट निवासी बोलवाली तहसील संगरिया जिला हरुमानगढ।

हरुमानगढ
राजस्व अपील प्राधिकारी
Law

Law

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पॉन्डेंट सं० 1 ने उपरोक्त अधिकांशी संग्रिया के समक्ष राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसमें की उस तक 8 ए.एम.पी. खाला संख्या 102/400 खाला बंतासिंह जमाबंदी सं० 2071-74 में कुल 1.265 है० भूमि है। इस आराली में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए अपनी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीण कलवन्त सिंह वगैरा की तक 8 ए.एम.पी. खाला संख्या 38/36 के प.

निर्णय

दिनांक

14.09.2021

- श्री रविन्द कुमार शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट सं०
- श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट संख्या 4. 5
- श्री खुशहाल सिंह अधिवक्ता रेस्पॉन्डेंट सं० 1 व 2
- श्री राजेश दीपराय अभिभाषक अपील सं० 2021/112
- श्री इन्दल गादरा, अभिभाषक अपील सं० 2021/107

प. सं. 49/2020 अनवान बन्ता सिंह बन्ता मदनलाल आदि
विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकांशी संग्रिया, दिनांक 08.07.2021,
अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

—तहसीबी रेस्पॉन्डेंट/अपार्थी सं० 2 व 3

- 7. संग्रिया जिला हनुमानगढ़।
सुखजीत कौर पत्नी श्री जगद्वि सिंह जाति जटसिखनिवासी बोलवाली तहसील जिला हनुमानगढ़।
- 6. परमजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संग्रिया जिला हनुमानगढ़।
- 5. तहसीलदार (राजस्थ) संग्रिया जिला हनुमानगढ़।
जिला हनुमानगढ़।
- 4. अमनदीप कौर पत्नी जगदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संग्रिया जिला हनुमानगढ़।
- 3. कलवन्त सिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जाति जटसिख निवासी बोलवाली तहसील संग्रिया जिला हनुमानगढ़।

रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी

जाते हैं।

2.441 हैक्टयर आराजी के स्थान पर 2.422 हैक्टयर दर्ज किये जाने के आदेश दिये
165 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त खाता में मदनलाल के नाम
सुरक्षा नं. 24 के किला नं. 21/019 हैक्टर दक्षिण सीव के साथ 12 फुट चौड़ा व
खाता सं 55/49 जमाबन्दी समेत 2071-74 खाता मदनलाल के प. नं. 158/151

अपीलेशन आदेश दिनांक 08.07.2021 निरस्त किया जाता है एवं चक 8 ए.एम.पी.
राजीनामा दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का
पत्रिम 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है। चूंकि उभयपक्ष लोकअदालत की भावना
सं. नं. 24 के किला नं. 19 व 20 में किला नं. 11 व 12 से विपत्ता हुआ पूर्व से
चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 38/36 खाता कलवन्तसिंह वगैरा के प. नं. 158/151

अपीनरथ न्यायालय ने रेसपो सं 1 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलेशन निर्णय के द्वारा
चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 38/36 खाता कलवन्तसिंह वगैरा के प. नं. 158/151

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

कलवन्तसिंह, व सुखजीतकौर ने दिनांक 31.08.2021 ने राजीनामा पेश किया एवं
के कारण दोनों अपीलें समीकित की गई। अपीलण्ट मदनलाल व रेसपोडेण्ट बन्तसिंह,
3. दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध होने एवं समान पक्षकार एवं समान भूमि होने
रिपोर्ट नहीं मंगावाई गई है।

रास्ते में चली गई है जिससे उसका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। मौका की
गये है। वह लघु कारखानेकार है भूमि के बदले में भूमि नहीं दिये जाने पर उसकी भूमि
2. अपीलार्थिगण ने अपील इस आधार पर पेश की है कि उनकी भूमि के दो भाग हो
अधिल उक्त अपीलार्थिगण ने दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की हैं।

अपीलेशन निर्णय के द्वारा प्रथमतः रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिससे
विरोध करते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज करने का अनुरोध किया। अपीनरथ न्यायालय ने
एवं मौका पर रास्ता चालू करने का अर्जोप पेश किया। अपीलार्थिगण ने प्रार्थना-पत्र का
पूर्व से पत्रिम 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने
सं. 158/151 मु. नं. 24 के किला नं. 19 व 20 में किला नं. 11-12 से विपत्ता हुआ



हनुमानगढ़
राजस्व अपील प्राधिकारिणमण्डल
(करतारसिंह मुनिया) अपील प्राधिकारी
14/9/21

गया।

निर्णय आज दिनांक 14.9.21 को मेरे द्वारा खूबे न्यायालय में सुनाया
पञ्जावली निर्णित इमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।
आदेश दिये जाते हैं।

हैक्टयर हिस्सा बढाते हुए .445 हैक्टयर के स्थान पर .464 हैक्टयर दर्ज करने के
हैक्टयर के स्थान पर .087 हैक्टयर दर्ज करने तथा अपीलान्ट मदनलाल का 0.019
रेस्पॉडेण्ट संख्या 5 सुखजीतकौर का .013 हैक्टयर हिस्सा कम किया जाकर .100
किया जाकर कुलवन्तसिंह के नाम .253 हैक्टयर के स्थान पर .228 हैक्टयर तथा
कुलवन्तसिंह आदि में रेस्पॉडेण्ट संख्या 2 कुलवन्तसिंह का 0.025 है0 हिस्सा कम
संख्या 38/36, जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाला

8.

चक 8 ए.एम.पी. खाला संख्या 38/36, जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाला
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

इस खाला में बन्तसिंह के नाम 1.265 है0 आराजी के स्थान पर 1.2635 हैक्टयर दर्ज
पहिलम कोने में), 12 फुट चौड़ा व 12 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है व
के पत्थर नम्बर 158/151 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नं. 23/.0015 हैक्टयर (दक्षिण
संख्या 102/40, जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाला बन्तसिंह

7.

जाता है।

हैक्टयर दक्षिण सीव के साथ 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया
कुलवन्तसिंह आदि के प. नं. 158/151 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 22/.019

6.

इसी प्रकार चक 8 ए.एम.पी. खाला संख्या 38/36 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाला